सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–31 / 2018

देवकी पत्नी श्री रामस्वरूप जाति कुशवाह निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

............वादी

बनाम

1–भीकमसिंह पुत्र श्री ननिका जाति कुशवाह निवासी कनासिल तहसील सैपऊ

.... प्रतिवादी

2–बी.आर.के.जी.बी. शाखा कौलारी जरिये शाखा प्रबन्धक
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

..............तरतीवी प्रतिवादी

दावा,बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री हजरत खॉ एडवोकेट........ (वादी)

निर्णय दिनांक 09.10..2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 12.06.2018 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1633 रकवा 1 बीघा 02 विस्वा, 1634, रकवा 16 विस्वा,कुल किता 2 कुल रकवा 1 बीघा 18 विस्वा स्थित वाके ग्राम मोतीराम का नगला पटवार क्षेत्र पिपरौआ तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 13.06.2019 को प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांकःराजस्व / 2019 / 688 दिनांक 24.09.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी स्थित ग्राम मोतीराम का नगला पटवार

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

मण्डल पिपरौआ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-देवकी पत्नी रामस्वरूप कौम कुशवाह सा.कनासिल तहसील सैपऊ

क्रoसंo	खoनंo	रकवा (बीघा में)
1.	1633/1	0-11
2.	1634/1	0-08
योग	2	0-19

2-भीकमसिह पुत्रश्री ननिका कौम कुशवाह सा. कनासिल राहिन बी.आर.के. जी.बी शाखा कौलारी मु.वि.क.

क्रoसंo	खoनंo	रकवा
1.	1633/2	0-11
2.	1634/2	0-08
योग	2	0-04

परोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिंह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AG 435586

डिकी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

व इजलास – हरिसिह लंम्बोरा (आर० ए० एस०)

प्रकरण संख्या–31 / 2018

देवकी पत्नी श्री रामस्वरूप जाति कुशवाह निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०)

.............वादी

बनाम

1–भीकमसिंह पुत्र श्री ननिका जाति कुशवाह निवासी कनासिल तहसील सैपऊ

.... प्रतिवादी

2–बी.आर.के.जी.बी. शाखा कौलारी जरिये शाखा प्रबन्धक

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

...............तरतीवी प्रतिवादी

दावा,बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरिसिह लंम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हजरत खॉ एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम मोतीराम का नगला पटवार मण्डल पिपरौआ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:–

1–देवकी पत्नी रामस्वरूप कौम कुशवाह सा.कनासिल तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा (बीघा में)
1.	1633 / 1	0–11
2.	1634 / 1	0–08
योग	2	0–19

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

2–भीकमसिह पुत्रश्री ननिका कौम कुशवाह सा. कनासिल राहिन बी.आर.के.
जी.बी शाखा कौलारी मु.वि.क.

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1633/2	0–11
2.	1634/2	0–08
योग	2	0–04

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.10.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ